

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
 प्रतापसिंह बनाम लाड कंवर वगैरह
 किस्म मुकदमा:-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
 प्रकरण संख्या 130/2026 (पुष्कर)

रिका 03
 13/4/26

	श्री भीयाराम चौधरी	
19.03.2026	प्रतापसिंह बनाम लाड कंवर वगैरह (2026/130) यह अपील श्री भीयाराम चौधरी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2026 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 23.03.2026 को पेश हो।	
23.03.2026	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 13.04.2026 को पेश हों।	
13.04.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांतस विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती इसके बावजूद भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा उपरोक्त विधि के सुस्थापित प्रावधानों के विपरित जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 20.02.2026 से रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान कर दिये है जो अवैधानिक होकर काबिल निरस्त योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के द्वारा राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें वादीगण द्वारा विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद/राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री बलवंत सिंह जिनका करीबन 1 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया प्रतिवादी संख्या 09 नाथू सिंह पुत्र श्री तेजसिंह जिनके स्वर्गवास को करीबन 3.5 वर्ष हो गये। प्रतिवादी संख्या 13 दशरथ सिंह पुत्र बलवंतसिंह का स्वर्गवास करीबन 10 वर्ष पूर्व हो गया। प्रतिवादी संख्या 26 शक्ति सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह का स्वर्गवास करीबन 7-8 माह पूर्व हो गया और प्रतिवादी संख्या 51 बलवंत सिंह पुत्र गणेश सिंह का स्वर्गवास करीबन 20 वर्ष पूर्व हो गया इसलिए उक्त राजस्व वाद/राजस्व प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों के विरुद्ध होने से एवं गलत तथ्यों के आधार पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण निरस्त योग्य था इसके बावजूद भी आदेश मृत व्यक्तियों के विरुद्ध होने से राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
प्रतापसिंह बनाम लाड कंवर वगैरह
किस्म मुकदमा:-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 130/2026 (पुष्कर)

लगातार.....

अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 को मृत व्यक्तियों के विरुद्ध होने से उसकी क्रियान्विति, पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर बहस सुनते हुए अंतरिम स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया गया एवं अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा सीधे ही अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय हाजा के समक्ष उठाये गये है वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से विधिक उपचार प्राप्त कर सकते है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या 20/2026 जिला अजमेर

2026/130

1. प्रताप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत,
 2. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत,
 3. अजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत,
 4. कुलदीप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत,
 5. लाडकंवर पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत,
 6. कैलाश कंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत,
 7. किशन कंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत
- समस्त निवासीगण नान्द तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

-- अपीलांट्स

बनाम्

130/2026
19.2.26

1. श्रीमती लाड कंवर पत्नी स्व. श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत,
2. दयालसिंह पुत्र स्व. श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत,
3. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह जाति राजपूत,
4. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह जाति राजपूत,
5. पहाड़ सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत,
6. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोड सिंह जाति राजपूत,
7. अर्जुन सिंह पुत्र श्री प्रमोद सिंह जाति राजपूत,
8. राजकंवर पत्नी श्री विक्रमसिंह जाति राजपूत,
9. नरपतसिंह पुत्र श्री विक्रमसिंह जाति राजपूत,
10. इंगरसिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत
11. प्रीति राठौड़ पुत्री श्री विक्रमसिंह जाति राजपूत,
12. सोनू राठौड़ पुत्री श्री विक्रमसिंह जाति राजपूत,
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत,
14. ममता कंवर पुत्री श्री तेजसिंह जाति राजपूत,
15. गुड्डी कंवर पुत्री श्री तेजसिंह जाति राजपूत,
16. जालिम सिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति राजपूत,
17. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति राजपूत,
18. भगवन्तसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति राजपूत,
19. किशोरसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति राजपूत,
20. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री मूरजादसिंह जाति राजपूत,
21. रणजीत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत,
22. उम्मेदसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत,
23. हिम्मत सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपूत,
24. अरविन्द कौशल सिंह पुत्र श्री गोपालसिंह जाति राजपूत,

25. गरिमा नाथावत पुत्री श्री सुरेन्द्रसिंह नाथावत जाति राजपूत,
26. दुष्यंत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत,
27. मीना पुत्री श्री गोपालसिंह जाति राजपूत,
28. राजराजेश्वरी पुत्री श्री गोपालसिंह जाति राजपूत,
29. विजय लक्ष्मी पुत्री श्री गोपालसिंह जाति राजपूत,
30. अमर सिंह पुत्र श्री रामचंद्र सिंह जाति राजपूत,
31. कुलदीप सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत,
32. गजवीर सिंह पुत्र श्री रामचंद्र सिंह जाति राजपूत,
33. जितेंद्र सिंह पुत्र श्री दातार सिंह जाति राजपूत,
34. दयाल सिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपूत,
35. श्रीमती नंद कंवर पत्नी श्री जय सिंह जाति राजपूत,
36. नितु कंवर पुत्री श्री दातार सिंह जाति राजपूत,
37. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत,
38. भंवर कंवर पुत्री श्री जयसिंह जाति राजपूत,
39. भंवर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत,
40. राम सिंह पुत्र श्री जय सिंह जाति राजपूत,
41. रितू कंवर पुत्री श्री दातार सिंह जाति राजपूत,
42. विजयलक्ष्मी पुत्री श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत,
43. विनोद कंवर पुत्री श्री जयसिंह जाति राजपूत,
44. संगीता पुत्री श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत,
45. श्रीमती सज्जन कंवर पत्नी श्री दातार सिंह जाति राजपूत,
46. सबल सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह जाति राजपूत,
47. प्रकाश कंवर पुत्री श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत,
48. सज्जन कंवर पुत्री श्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत,
49. महावीर पुत्र श्री रघुनाथ जाति राजपूत,
50. बलवीर पुत्र श्री रघुनाथ जाति राजपूत,
51. पुष्पा कंवर पुत्री श्री किशनसिंह जाति राजपूत,
52. श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत,
53. श्रीमती ताराकंवर पत्नी श्री रणजीतसिंह जाति राजपूत,
54. न्यालसिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत,
55. आकांक्षा राठौड़ पुत्री श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत,
56. श्रीमती मगन कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
57. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
58. सीमा कंवर पुत्री श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत,
59. श्रीमती मनभर कंवर पत्नी श्री प्रमोद सिंह जाति राजपूत,
60. अनोप कंवर उर्फ सरूप कंवर पुत्री श्री प्रमोद सिंह जाति राजपूत,
61. हिम्मत सिंह पुत्र श्रीमती संतोष देवी जाति राजपूत,
62. प्रवेश कुमार पुत्र श्रीमती संतोष देवी जाति राजपूत,
63. पिन्की कुमारी पुत्री श्री संतोष देवी जाति राजपूत,



64. मनोज कंवर पुत्री श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत,
65. ओम कंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत,
66. नंदकिशोर सिंह पुत्र श्री रोड सिंह जाति राजपूत,
67. नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रोड सिंह जाति राजपूत,
68. भवानी पुत्र श्री रोड सिंह जाति राजपूत,
69. श्रीमती राजेश कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत,
70. ज्योति कंवर पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत
समस्त निवासीगण नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
71. शाखा मेनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गनाहेडा पुष्कर जिला अजमेर।
72. शाखा मेनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पुष्कर जिला अजमेर।
73. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, पुष्कर जिला अजमेर।
74. राजस्थान सरकार जरिये तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

-- रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 20.02.2026 प्रकरण संख्या 12/2026 बउनवानी लाड कंवर व अन्य बनाम राजकंवर वगैरह में पारित किया।

श्रीमान् जी,

अपीलांट्स का माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है :-

- (अ) यह कि प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नं0 1849/2113 रकबा 0.2800 है0, खसरा नं0 1855/2608 रकबा 0.2800 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5600 है0 एवं खसरा नं0 1781/2607 रकबा 0.2800 है0, खसरा नं0 1846 रकबा 0.2300 है0, खसरा नं0 1847 रकबा 3.4600 है0, खसरा नं0 1848 रकबा 0.3700 है0, खसरा नं0 1854/2619 रकबा 0.2800 है0 एवं खसरा नं0 1855 रकबा 4.4800 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 9.1000 है0 के बाबत् एक राजस्व वाद इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी घोषणा का वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया और उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात् के बाबत् प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की कृषि भूमियों में प्रार्थीगण के हक अधिकार आधिपत्य की भूमि के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त

